

श्री एवं अभिभावक

श्रीमान राजस्व न्यायालय इलाहाबाद  
पुनर्स्थापन-4013/2018/इंदौर/अ

इंदौर

निर्मल

श्रीमान अविनाश कुमार विक्रम  
अभिभावक/ श्रीमान शासन  
इंदौर/अ अपीलार्थी

शुभ

20/06/18  
4:30 PM

आवेदन का अंतर्गत भाग 9 मि. 9 सहपबिन धारा-151

एवं सहपबिन धारा-32 भू.राजस्व संहिता

अपीलार्थी लिफ्ट निवेदन है कि:-

1) यह कि, प्रकरण सुनवाई हेतु इंदौर केम्य न्यायालय में नियत किया गया था।

2) यह कि, मुझे अभिभावक के बच्चे का स्वास्थ्य स्कूल में खराब हो गया था तो वहां से फोन आने पर मैं तत्काल स्कूल चला गया और छवराहट में अपने पक्षकार को भी सूचित नहीं कर सका बच्चे को घर छोड़ने के उपरान्त मैं जब मैं दोपहर न्यायालय उपस्थित हुआ तो मुझे शान हुआ कि प्रकरण अदम पेंरवी में निरस्त किया गया।

अतः यह आवेदन पत्र अविलम्ब प्रकरण कि पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

3) यह कि, आवेदन पत्र के समर्थन में शपथपत्र संलग्न है।

अतः श्री. न्यायालय से निवेदन है कि, उपरोक्त परिस्थितियों तथ्यों के आलोक में न्यायक्षिति में यह आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण कि पुनर्स्थापना हेतु योग्य आदेश होवे।

इंदौर  
दिनांक 20/06/18

प्रमाणिका

अपीलार्थी लिफ्ट अफिले

(Signature)



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक Resto./4013/ PB-218) 2-21

निर्मल

विरुद्ध

श्रीमती

तहसील

जिला

इंदौर

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. . . . . जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. . . . .

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. . . . . तहसील का प्रकरण क्रमांक. . . . .

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
17-7-2018	<p>BL आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला</p> <p>के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक. . . . . P. D. 20/6/18</p> <p>के विरुद्ध श्री</p> <p>के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/ . . . . . रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील/ पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आंकान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p>	<p>श्री. 9.5 A3545</p> <p>Prm 18/12/18</p> <p>22/07/18</p>

आवेदन की शरतों पर श्री नीरज नीम  
अभिभावक आदि। उन्हें पुनर्स्थापन  
आवेदन पत्र पर पुनः अपील पुनर्स्थापन  
आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल  
प्रकरण क्रमांक अपील 3545/2018/इंदौर/स्टाफ  
अधि-सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिखा  
आपने यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।

*(Handwritten signature)*

अध्याक्ष Noted 9/09/18

Noted 14/07/18  
*(Handwritten signature)*  
सिलेक्शन  
105